न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 3053–तीन/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 11–07–13 पारित अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक 282/अ–19/07–08 निगरानी.

राघवेन्द्रसिंह पुत्र रामरक्षपालसिंह ठाकुर,
निवासी ग्राम बड़खेरा, तह0 बडामलहरा,
जिला छतरपुर, म0प्र0

---- आवेदक

विरूध्द

राजेन्द्र तनय गोपाल दास खाटीक,
निवासी ग्राम बोकना, तह0 बड़ामलहरा,
जिला छतरपुर, म0प्र0

--- अनावेदक

श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक आवेदक
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक– अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 20.5.2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के निगरानी प्रकरण कमांक 282/अ–19/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 11–07–13 से अरान्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार ने ग्राम बड़ामलहरा की भूमि कुल किता 5 कुल रकबा 2.317 हे. कलेक्टर व्दारा काबिल काश्त घोषित करने से बंटन की कार्यवाही प्रारम्भ की। भूमि बंटन हेतु कुल 16 व्यक्तियों व्दारा आवेदनपत्र प्रस्तुत किये गये। तहसीलदार ने अपने आदेश दिनाक 16–6–02 व्दारा राजेन्द्र तनय गोपाल को 1.141 हे0 भूमि का बंटन किया गया तथा अन्य सभी आवेदनकर्त्ताओं को अपात्र होना माना। इस आदेश के विरूध्द आवेदक राघवेन्द्र सिंह व्दारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 04–11–04 व्दारा अपील समयावधि के बाहर प्रस्तुत मानकर खारिज की। अपर कलेक्टर के समक्ष आवेदक व्दारा निगरानी प्रस्तुत करने पर अपर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 24–5–06 में यह निष्कर्ष निकाला कि शासन व्दारा सिंचित भूमि की अधिकतम सीमा 1.000 हे. निर्धारित की गयी है, जबकि राजेन्द्र को 1.141 हे. भूमि बंटित कर सीमा का पालन नहीं किया गया। उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला कि बंटनग्रहिता ग्राम अलीपुरा तहसील नौगॉव का निवासी है और दूसरे तहसील के निवासी को भूमियॉ बंटित करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः अपर कलेक्टर व्दारा निगरानी स्वीकार कर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये। इस आदेश के विरूध्द अनावेदक राजेन्द्र व्दारा अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है जिसे अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 11–07–13 व्दारा स्वीकार किया है। अतः आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया। आवेदक अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदक राजेन्द्र ग्राम बड़खेरा तहसील बड़ामलहरा का निवासी ना होकर ग्राम अलीपुरा तहसील नौगॉव का निवासी है, इसलिये भूमि बंटन का पात्र नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि प्रश्नाधीन आवेदक के पूर्वजों की

है जिस पर उसके व्दारा कृषि कार्य कर अपने परिवार का भरण–पोषण किया जाता है। आवेदक व्दारा आपत्ति तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी, किन्तु तहसीलदार ने आपत्ति पर आवेदक को सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया और और ना ही आपत्ति का निराकरण किया गया। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदक राजेन्द्र तनय गोपाल ग्राम बडखेरा तहसील बड़ामलहरा का ही निवासी है। अनावेदक व्दारा अपने कथन के समर्थन में राशनकार्ड, मतदाना सूची एवं ग्राम पंचायत के सरपंच का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि सिंचित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील समयावधि बाह्य थी जिसे अपर कलेक्टर व्दारा समयावधि में मान्य करने में त्रुटि की है। अनावेदक व्दारा प्रस्तुत किये गये सबूतों का खण्डन नहीं किया गया है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ इस प्रकरण में प्रथम विचारणीय बिन्दू यह है कि अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत आदेश पारित किये गये हैं, इसलिये राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत राजस्व मण्डल को निगरानी श्रवण करने की अधिकारिता है या नहीं। आवेदक के अभिभाषक व्दारा इस संबंध में मान. उच्च न्यायालय के खण्डपीठ व्दारा फुल्ला वि. नरेन्दसिंह तथा अन्य (2012 रा0नि0 256) में पारित निर्णय की ओर ध्यान आकर्षित किया है। मान. उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि –

"भू–राजस्व संहिता 1959 धारा 50 व्यापि– राजस्व अधिकारी व्दारा राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत पुनरीक्षण में पारित आदेश - ऐसे आदेश के विरूध्द संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण - राजस्व मण्डल को इसे ग्रहण करने की शक्ति है तथा वैसा ही चलाने योग्य है।"

मान. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश की कण्डिका–8 में यह उल्लेख किया है कि –

"From the aforesaid provision, it is clear that the Board of Revenue has power to entertain the Revision against the order passed by the Revenue Officer. Hence, the finding recorded by the learned Single Judge in this regard in accordance with law."

ऐसी दशा में आवेदक व्दारा प्रस्तुत निगरानी ग्राह्य योग्य होने से प्रकरण का निराकरण गुण–दोष पर किया जाता है।

6/ तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि तहसीलदार के समक्ष 16 व्यक्तियों व्दारा भूमि बंटित किये जाने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किये गये। अनावेदक राजेन्द्र तनय गोपाल खटीक के आवेदनपत्र को छोड़कर शेष आवेदनपत्र तहसीलदार व्दारा अपात्र होने से अमान्य किये गये हैं। आवेदनपत्रों पर हल्का पटवारी एवं उपसरपंच काशीबाई की टीप अंकित है। तहसीलदार की आदेश पत्रिकाओं के अवलोकन से विदित होता है कि तहसीलदार व्दारा दिनांक 29–4–02 को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ग्राम में दिनांक 11–6–02 को भूमि बंटन किया जाना है। अतः तीन दिन पूर्व का उदघोषणा जारी करने तथा प्राप्त सभी आवेदनों को एकत्रित कर तथा उनकी सूची तैयार कर ग्राम के सार्वजनिक स्थान पर चस्पा करने तथा भूमि बंटन की सूचना ग्राम के सरपंच को देने व बंटन के समय सभी पंचों सहित उपस्थित रहने के आदेश दिये। तहसीलदार के उक्त आदेश के पालन में उदघोषणा जारी करना व प्राप्त आवेदनपत्रों की सूची चस्पा करना तहसील न्यायालय के अभिलेख से विदित नहीं होता और ना ही बंटन दिनांक की सूचना ग्राम के सरपंच को देने का कोई प्रमाण तहसील अभिलेख में है। तहसीलदार व्दारा बंटन की कार्यवाही नियत दिनांक 11–6–02 को ना कर दिनांक 16–6–02 को की गयी है। आदेश दिनांक 16–6–02 में तहसीलदार

व्दारा यह अंकित किया गया है कि 'विहित प्रारूप में प्रकाशित प्रसारित उदघोषणा प्रकरण में शामिल हों। तामीली भृत्य व्दारा तामीली रिपोर्ट लगाकर लौटाया गया है।' तहसीलदार के अभिलेख में दिनांक 12–4–02 को जारी उदघोषणा जिसके व्दारा दिनांक 29–4–02 तक बंटन हेतु आवेदनपत्र आमंत्रित करने की उदघोषणा उपलब्ध है, किन्तु इस उदघोषणा के आधार पर तहसीलदार व्दारा दिनांक 29–4–02 को दिये गये आदेशानुसार सभी आवेदनपत्रों को एकत्रित कर तथा उसकी सूची तैयार कर ग्राम में सार्वजनिक करने हेतु उदघोषणा जारी करना नहीं माना जा सकता। तहसील न्यायालय के अभिलेख पृष्ठ 19–20 पर उपलब्ध सूची में कमांक 6 पर छुट्टन तनय टिल्ली अहिरवार तथा कमांक 7 पर रमेश बसोर तनय पल्दुवा बसोर का नाम अंकित है, उनकी पात्रता या अपात्रता के संबंध में कोई अंकन नहीं है। कैलाश अहिरवार एवं छोटेलाल अहिरवार के आवेदनपत्रों में पटवारी प्रतिवेदन व उपसरपंच की टीप में आवेदक ग्राम बड़ेखेरा का निवासी नहीं है, किसी अन्य ग्राम का है, यह टीप अंकित है, किन्तु किस ग्राम का निवासी है, यह नहीं दर्शाया गया और ना ही इस संबंध में कोई जॉच की गयी। अनावेदक राजेन्द्र तनय गोपाल को छोड़कर अन्य किसी भी आवेदन–कर्त्ता को अपने आवेदनपत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है और ना ही इसका उन्हें अवसर तहसीलदार व्दारा प्रदान नहीं किया गया। तहसीलदार ने भूमि बंटन हेतु प्रस्तुत अन्य सभी 15 आवेदनपत्रों को आवेदनकर्त्ताओं को साक्ष्य व सुनवायी का अवसर दिये बगैर अपात्र मानकर निरस्त किया गया है जिसे नियमानुकूल नहीं कहा जा सकता। अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि सिंचित भूमि की अधिकतम सीमा 1.000 हे. निर्धारित की गयी है, किन्तु तहसीलदार व्दारा 1.141 हे. भूमि बंटित की गयी है जो विहित सीमा से अधिक है। विव्दान अपर आयुक्त ने अपने आदेश में इस संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है कि निर्धारित सीमा से अधिक भूमि का बंटन किस प्रकार नियमानुकूल है। अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में

यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भूमि बंटन के पूर्व भूमि अतिक्रमण मुक्त कराने के शासन के निर्देश हैं और प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा होने के आधार पर उसका शासकीय भूमि पर कोई स्वत्व होना मान्य नहीं किया है। ऐसी दशा में अपर आयुक्त का अपने आदेश में यह उल्लेख करना कि 'मध्यप्रदेश शासन की भूमि को मात्र 1944–45 की एक नकल के आधार पर व्यक्तिगत भूमि मानना उचित नहीं है' अपर कलेक्टर के आदेश में निकाले गये निष्कर्ष को सही रूप में समझकर आदेश पारित करना मान्य नहीं किया जा सकता। तहसीलदार व्दारा बंटन आदेश पारित करने के पूर्व बंटन के पूर्व विधिवत उदघोषणा आदेश दिनांक 29–4–02 के अनुसार जारी नहीं की गयी, इस कारण बंटन आदेश की जानकारी ग्रामवासियों एवं आवेदक को नहीं होने से आवेदक व्दारा प्रस्तुत अपील आदेश की जानकारी से समयावधि में मान्य करने में अपर कलेक्टर व्दारा काई त्रुटि नहीं की गयी थी।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 11–07–2013 निरस्त किया जाता है। अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 25–4–06 यथावत रखा जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमियों का विधि अनुसार बंटन की कार्यवाही सम्पन्न करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0